"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016—फाल्गुन 14, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एस. एस. बजाज, (भा.व.से.-1988) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री हिमांशु गुप्ता, (भा.पु.से.-1994), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण की सेवाएं गृह विभाग को वापस लौटायी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 2-4/2015/20-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर युक्तियुक्तकरण किए गए 2918 शालाओं में से 48 शालाओं को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया गया है.

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखंड	शाला का स्तर	युक्तियुक्तकृत शाला जिसे पुनः संचालित किया जाना है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जशपुर	मनोरा	प्राामिक शाला	प्रा.शा. जरिया
2.	बालोद	गुरूर	प्राथमिक शाला	शा.प्रा.शा. सनोद
3.	बीजापुर	बीजापुर	आश्रम शाला	बालक आश्रम तोड़का
4.	बीजापुर	बीजापुर	आश्रम शाला	बालक आश्रम तामोड़ी
5.	बीजापुर	भैरमगढ़	आश्रम शाला	बालक आश्रम केतुलनार
6.	बीजापुर	भैरमगढ़	आश्रम शाला	बालक आश्रम ताकिलोड़
7.	बीजापुर	भैरमगढ़	आश्रम शाला	बालक आश्रम छोटेपल्ली
8.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला सारा
9.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला मुरमा
10.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला पहाड़पारा
11.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला देवानीबांध
12.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला झरनापारा
13.	कोरिया	भरतपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला कन्या आश्रम जनकपुर
14.	कोरिया	भरतपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला बालक आश्रम कमर्जी
15.	कोरिया	सोनहत	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला सुन्दरपुर
16.	कोरिया	सोनहत	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आश्रम शाला मझारटोला
17.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	हा. से. स्कूल	शा.हा.से.वि. क. मनेन्द्रगढ़ आ.ज.क.वि.
18.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	हा.से. स्कूल	शा.हा.से.वि. बा. मनेन्द्रगढ़ आ.ज.क.वि.
19.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला मुण्डेर
20.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला पाहुरनार
21.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला पदमेटा
22.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला मरवाड़ीपारा गीदम
23.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला सरपंचपारा हाउरनार
24.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	क. प्रा.शाला मुचनार
25.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला उपेट
26.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला मल्लेमुण्डा लखमूपारा
27.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला आलनार पटेलपारा
28.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	क. आश्रम फरसपाल
29.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला बड़ेपनेड़ा
30.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	बालक आश्रम शाला कटुलनार
31.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला मड़से कोटवारपारा
32.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला सालनार
33.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला गुमलनार
34.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला पटेलपारा गुटोली
35.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	आश्रम शाला मुस्तलनार
36.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला गुमड़ा भावसिंगपारा
37.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	बालक आश्रम शाला कुटुलनार
38.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	पोटाकेबिन हितामेटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला नेउरनार
40.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	प्रा.शाला कोरकोटी
41.	दन्तेवाड़ा	गीदम	प्रा. शाला	कन्या आश्रम कारली
42.	गरियाबंद	मैनपुर	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला नगबेल
43.	कबीरधाम	पण्डरिया	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला सिहरापारा
44.	कबीरधाम	पण्डरिया	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला देवसरा
45.	कबीरधाम	पण्डरिया	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला आदि. बा. आश्रम देवसरा
46.	कबीरधाम	पण्डरिया	प्रा. शाला	शा.प्रा.शाला बकेला
47.	बिलासपुर	कोटा	पूर्व मा. शाला	शा. पूर्व मा. शाला बघधरा
48.	बिलासपुर	कोटा	पूर्व मा. शाला	शा. पूर्व मा. शाला अमने

2. जिला बिलासपुर, विकासखंड कोटा के शा. पूर्व कन्या शाला करगीकला बिलासपुर को युक्तियुक्तकरण के तहत् शा.पूर्व माध्य.बालक शाला करगीकला में संचालित किये जाने हेतु एवं जिला बिलासपुर, विकासखंड तखतपुर को शा.पूर्व माध्य. शाला कन्या सल्का, नवागांव बिलासपुर को युक्तियुक्तकरण के तहत् शा. पूर्व मा. शाला बालक सल्का नवागांव बिलासपुर में संचालित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है.

3. इस संबंध में पूर्व में जारी किए आदेश दिनांक से मान्य होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-17/तीन-जेल/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (चतुर्थ श्रेणी) जेल सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ (चतुर्थ श्रेणी) जेल सेवा नियम, 2015 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—**ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं.—**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (13) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (घ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ (चतुर्थ श्रेणी) जेल सेवा;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ञ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (12) में विनिर्दिष्ट समिति.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

5. **आरक्षण.**—

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

8. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 एवं 4 देखिये)

स. क्र.	पद के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम या स्थानान्तरण के माध्यम सहित विभिन्न तरीकों द्वारा भर्ती का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये		परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवा की कालावधि	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
						आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	जमादार	01	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440+ ग्रे.वे.-1400	100% पदोन्नति के माध्यम से	-	-	2 वर्ष	5 वर्ष	भृत्य	(1) जेल उप महानिरीक्षक—अध्यक्ष या महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य. (2) अधीक्षक, केन्द्रीय जेल—सदस्य या महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य. (3) अधीक्षक, जिला जेल—सदस्य या महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य.	महानिदेशक जेल
2.	भृत्य	25	-तदैव-	4750-7440+ ग्रे.वे.-1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.	-तदैव-	-	-	नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर समिति गठित करेगा.	महानिदेशक जेल-03 पद एवं सर्किल जेल अधीक्षक-22 पद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	स्वीपर	78	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440+ ग्रे.वे.-1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.	2 वर्ष	-	-	नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर समिति गठित करेगा.	सर्किल जेल अधीक्षक
4.	भृत्य (कलेक्टर दर)	01	-तदैव-	कलेक्टर दर	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये	-तदैव-	-	-	-तदैव-	महानिदेशक जेल
5.	चौकीदार (कलेक्टर दर)	01	-तदैव-	कलेक्टर दर	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-तदैव-	महानिदेशक जेल
6.	स्वीपर (अंशकालीन)	03	-तदैव-	कलेक्टर दर	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.	-तदैव-	-	-	-तदैव-	महानिदेशक जेल-01 पद एवं सर्किल जेल अधीक्षक-02 पद.

टीप — ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-17/तीन-जेल/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-17/तीन-जेल/2014, दिनांक 17-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 17th December 2015

No. F 3-17/Three-Jail/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh (Class-IV) Jail Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh (Class-IV) Jail Service Rules, 2015.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,—
   (a) "Appointing Authority" in respect of service means the authority as specified in column (13) of Schedule;

   (b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (d) "Other Backward Class" means other backward classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

   (e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

   (f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (h) "Service" means the Chhattisgarh (Class-IV) Jail Services;

   (i) "State" means State of Chhattisgarh;

   (j) "Selection Committee" means a committee specified in column (12) of Schedule.

4. **Classification and scale of pay etc.—**The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Reservation.—**

(1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

6. **Relaxation.—**Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

8. **Repeal.—**All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2 and 4)

S. No.	Name of the post	Number of duty posts	Classi-fication	Pay scale and grade pay	Percentage of recruitment through various modes including direct recruitment or through promotion or through transfer	Only for direct recruitment		Period of promotion or trial if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which the promotion is to be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Appointing Authority
						Age limit	Necessary Education Qualification					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jamadar	01	Class-IV	4750-7440+ G.P.-1400	100% through promotions	-	-	2 years	5 years	Peon	(1) Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General, Prison & correctional Services.—Chairman (2) Superintendent Central Jail or nominated member by Director General, Prison & correctional Services. — Member (3) Superintendent District Jail or nominated member by Director General, Prison & correctional Services. — Member	Director General of Prisons

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Peon	25	Class-IV	4750-7440+ G.P.-1300	100% through Direct Recruitment	18-30 years	Should have passed 8th examination from any recognized Board.	2 years	-	-	Appointing Authority shall constitute the Committee from time to time.	Director General of Prisons-3 posts and Circle Jail Superin-tendent-22 posts
3.	Sweeper	78	-do-	4750-7440+ G.P.-1300	-do-	-do-	Should have passed 5th examination from any recognized Board.	-do-	-	-	-do-	Circle Jail Superin-tendent
4.	Peon (Collectorate Rate)	01	-do-	Collector Rate	-do-	-do-	Should have passed 8th examination from any recognized Board.	-do-	-	-	-do-	Director General of Prisons
5.	Chowkidar Collectorate Rate)	01	-do-	Collector Rate	-do-	-do-	-do-	-do-	-	-	-do-	Director General of Prisons
6.	Sweeper (Part-Time)	03	-do-	Collector Rate	-do-	-do-	Should have passed 5th examination from any recognized Board.	-do-	-	-	-do-	Director General of Prisons-01 post and Circle Jail Superin-tendent-02 posts

Note— The upper and limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-04/2015/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री दिवाकर मिश्रा, भा.व.से. (1981), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, साऊथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि., बिलासपुर, मुख्यालय, रायपुर की सेवाएं केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान HAG + 75500-80000 GP : Nil) के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है.

श्री दिवाकर मिश्रा, भा.व.से. (1981) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को, श्री नवीन चंद पंत, भा.व.से. (1981) की सेवा निवृत्ति से रिक्त हो रहे प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर के पद पर दिनांक 01-03-2016 से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

2. श्री प्रदीप कुमार पंत, भा.व.से. (1982), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान HAG + 75500-80000 GP : Nil) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर P.C.C.F. (Medicinal Plants and Traditional Forestry Knowledge) and C.E.O. Medicinal Plant Board, Raipur के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री बसंत कुमार सिन्हा, भा.व.से. (1982), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान HAG + 75500-80000 GP : Nil) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर P.C.C.F. (Research, Training and Climate Change) and Director, SFRTI, Raipur के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-04/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती नीतू कमल, भापुसे (2008), पुलिस अधीक्षक, मुंगेली को दिनांक 27-01-2015 से 06-02-2016 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 26-01-2016 एवं 07-02-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीतू कमल आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्रीमती कमल को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कमल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती नीतू कमल, पुलिस अधीक्षक, मुंगेली, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, मुंगेली का प्रभार श्री एस. आर. भगत, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुंगेली को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक/एफ 7-15/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एस. एस. सोरी, भापुसे (2003), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 27-01-2015 से 10-02-2016 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 26 जनवरी 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. सोरी आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सोरी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री एस. एस. सोरी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का प्रभार श्री दीपक कुमार झा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एस.टी.एस., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-29/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष सिंह, भापुसे (2012), एसडीओपी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 20-08-2015 से 31-08-2015 तक (कुल 12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक एसडीओपी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को उक्त अवकाश अवधि में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष सिंह, भापुसे (2012) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-20/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती नेहा चम्पावत, भापुसे (2004), पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-02-2016 से दिनांक 16-02-2016 तक (कुल 07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती चम्पावत, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलती थी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चम्पावत, भापुसे (2004), अवकाश पर नहीं जातीं, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती चम्पावत की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पद का प्रभार, श्री अमित तुकाराम कांबले, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-01/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. सी. श्रीवास्तव, (भापुसे-1987) अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 22-02-2016 से 01-03-2016 (09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 फरवरी 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर 2015 "उद्योग आधार ज्ञापन" दाखिल करने संबंधी निर्देश प्रसारित किए हैं.

यह कि, छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार ज्ञापन (उद्यमिता ज्ञापन-I अर्थात ई.एम. पार्ट-I तथा उद्यमिता ज्ञापन-II अर्थात ई.एम. पार्ट-II) जारी दाखिल करने के निर्देश दिये थे. भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 के कारण ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II की विधिक स्थिति 18 सितम्बर 2015 से शून्य हो गयी है.

यह कि, राज्य शासन की वर्तमान में प्रभावशील औद्योगिक नीति 2014-19, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19, ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 तथा छत्तीसगढ़ भूमि आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2015 में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है.

इसलिये यह आवश्यक है कि उक्त नीतियों में वर्णित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन के आवंटन के संबंध में ई.एम. पार्ट-I के स्थान पर अन्य व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाये.

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2015 से ई.एम.पार्ट-I के स्थान पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम की स्थापना करने का आशय रखने वाले उद्यमी से स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू करता है. "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था ऑन-लाईन होगी तथा "उद्यम आकांक्षा" की वैधता अवधि दाखिल करने की दिनांक से अधिकतम 2 वर्ष होगी.

"उद्यम आकांक्षा" के आवेदन पत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न है. इस आवेदन प्रारूप में आवश्यकतानुसार संशोधन आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे.

यह अधिसूचना 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील मानी जावेगी.

Udyam Aakanksha

Welcome DIC Raipur Log Out (../Logout.aspx)

Enterprise/Unit Detail

Entrepreneur/Applicant Detail

1. Name of Enterprise:*

Enter Your Enterprise Name

1.1)Type of Organization:*

Select ▾

1.2)Nature of Operation*

Select ▾

2. Proposed Location of Enterprise

2.1)State:*

Chhattisgarh - 22 ▾

2.2)District:*

Select ▾

2.3)Area:*

○ **Rural** ○ **Urban**

2.4)Block/Tehsil:*

Select ▾

2.5)DIC:*

Select DIC ▾

2.6)Village/Town:*

Select ▾

2.7)Pin Code:*

Enter Your Pincode

2.8)Address:

Enter Your Address

Characters left. 300

3. Product / Service Details

3.1)**Nature of Activity:***

◉ **Manufacturing** ○ **Service**

3.2)Main Manufacturing Activity:*

3.3)NIC 2008 Code:*

Search (../App_Themes/blue/images/nic_2008_17apr09.pdf)

3.4)Product to be Manufactured/Service to be provided:*

Search Product/Service

(../App_Themes/blue/images/product.pdf)

3.4.1)Product/Service Name:*

3.4.2)Activity Code:*

3.4.3)Quantity:*

3.4.4)Unit:*

Select Unit ▾

ADD PRODUCT/SERVICE

S.No.	Product Name	Activity Code	Quantity	Unit
No Product/Service Activity Added				

4. Investment and Operation Details

[All Investment must be Rupees in Lakhs]

4.1) Land:*

Owned ▼

4.1.1) Cost

in Lakh

4.1.2)Area

Area

4.1.3) Unit

Select Unit ▼

4.2) Land Development

Enter Amount

(In Lakhs)

4.3) Shed/Building:*

Owned ▼

4.3.1) Cost

in Lakh

4.4) Water Supply*

Enter Amount

(In Lakhs)

4.5) Electricity Installation*

Enter Amount

(In Lakhs)

4.6) Plant & Machinery Value(for manufacturing enterprise):

Enter Amount

(In Lakhs)

4.7) Other Fixed Assets

Enter Amount

(In Lakhs)

4.8)Proposed Investment in Fixed Assets (4.1.1+4.2+4.3.1+4.4+4.5+4.6+4.7):*

In Lakhs

4.9)Category of Enterprise:*

Select

4.10)Foreign Equity(if any)

Enter Amount

(In Lakhs)

4.11)Proposed Schedule of Installation of Plant & Machinery / Equipment:*

Select

Select

4.12)Expected Schedule of Commencement of Production/Service Activity *

Select

Select

4.13)Power Load (Anticipated):

Enter Power Load

Select

4.14)Any Other Source of Energy

○ Yes ◉ No

5. Proposed Employment

5.1)Administrative & Managerial Position:*

Enter Management & Staff

5.2)Skilled Labour:

Enter Supervisory

5.3)Unskilled Labour:

Enter Workers

Udyam Aakanksha

Welcome DIC Raipur Log Out (../Logout.aspx)

Enterprise/Unit Detail   Entrepreneur/Applicant Detail

(*) Mark Fields Are Mandatory

6. Communication Address of Enterprise

◉ **Proposed Location**   ○ **Enterprise**   ○ **Other**

6.1)Block No/ House No:*

Enter Block No/ House No.

6.2)Road/Street/Lane:*

Enter Road/Street/Lane.

6.3)Area/Locality:*

Enter Area/Locality

6.4)Pin Code:*

Enter Your PinCode

6.5)State:*

Chhattisgarh ▾

6.6)District:*

Select District ▾

6.7)Website Url:

Enter Your Website

6.8)Official Email Id:

Enter Official Email id

7. Enterepreneur Details

7.1)Name:*

Enter Name

7.2)Gender:*

Male ▾

7.3)Category:*

Select ▾

7.4)Education Level:*

Select ▾

7.5)Equity Participation:

Enter Equity in Rupees

(in ₹)

Enter Equity in %

(in %)

Add

Name	Gender	Category	Education	Equity Participation In Rupees	Equity Participation In %
No Enterpreneur Details Added					

8. Applicant Details

8.1)Name of Applicant:*

Enter Your Name

8.2)Mobile Number:*

Enter Your 10 digit Mobile Number

8.3)Aadhar Number:

Enter Your 12 Digit Aadhar Number

8.4)Email:*

Enter Your Email

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 20-47/2013/ग्यारह/(छः).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-2 के उप पैरा-7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

2.7— भू-आवंटन हेतु आवेदन पत्र विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जायेगा. ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग यथाशीघ्र व्यवस्था करेगा. विभाग के वेब-साईट में आवेदन का प्रारूप उपलब्ध होगा.

तथापि, संचालक उद्योग के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार के लिये भूमि आवंटन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रकरणों में ऑन लाईन प्रक्रिया से आगामी आदेश तक अथवा ऑन लाईन होने तक, जो भी पहले हो, तक छूट दी जाती है.

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 8-3/2011/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. भिलाई के बॉयलर क्रमांक M.P./2972 को दिनांक 20-02-2016 से 19-05-2016 तक (तीन माह) निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-28/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत जशपुर नगर विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. जशपुर नगर विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. जशपुर नगर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जशपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से जशपुर नगर विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-28/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में जशपुर नगर विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 16-2-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 16th February 2016

No. F 7-28/2015/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Jashpur Nagar Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Jashpur Nagar Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Assistant Director, Town & Country Planning Jashpur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Jashpur (C.G.)
3. Collector, Jashpur (C.G.)

3. The Jashpur Nagar Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला रायपुर के कुंरा निवेश की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/161/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	बोड़ला प.ह.नं. 22	2.760	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम.	बोड़ला - मोहगांव बायपास मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 313/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सिल्हाटी प.ह.नं. 11	0.113	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव से कवर्धा राज्यमार्ग क्र. 5 के कि.मी. 85/10 के कर्रा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 314/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पण्डरिया प.ह.नं. 37	0.268	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	डेहरी से पण्डरिया मार्ग के सकरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 315/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	लाखाटोला प.ह.नं. 18	0.162	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव से कवर्धा राज्यमार्ग क्र. 5 के कि.मी. 85/10 के कर्रा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक/200/08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सरईपतेरा प.ह.नं. 44	5.000	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	सरईपतेरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत डुब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक/196/09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	धामिनडीह प.ह.नं. 44	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	सरईपतेरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत डुब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक/198/10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	रेंगाखारकला प.ह.नं. 44	5.477	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	सरईपतेरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत डुब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक /208/01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	पंडरिया प.ह.नं. 46	0.729	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, राजनांदगांव.	उसरवाही - पंडरिया - दमोह मार्ग पर बंजर नदी पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	सोनक्यारी प.ह.नं. 07	2.209	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर.	सोनक्यारी पुलिस चौकी एवं बंदी गृह निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 8/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुवांजति प.ह.नं. 19	4.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 9/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	भैंसाझार प.ह.नं. 39	7.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बारीडीह प.ह.नं. 19	10.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बछालीखुर्द प.ह.नं. 39	11.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक 18/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	छेरकाबांधा प.ह.नं. 35	20.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

क्रमांक 19/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उमरमरा प.ह.नं. 35	8.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भाड़म प.ह.नं. 51	18.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पेण्डारी प.ह.नं. 47	15.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 20/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	समलपुरी प.ह.नं. 40	57.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 21/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलमुण्डी प.ह.नं. 22	32.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 22/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मेण्ड्रा प.ह.नं. 42	28.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 23/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	हाफा प.ह.नं. 44	10.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 24/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लमेर प.ह.नं. 52	49.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 51/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1467	1.57
	1469	0.94
	1485	0.60
	1470/1	0.27
	1482	0.42
	1483	0.44
	1480/1	0.17
	1484	0.37
योग	08	4.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुराऊ जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 49/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बलेण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.63 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	12	1.32
	7	0.95
	11	0.30
	13	0.15
	4	0.31
	9	0.60
योग	6	3.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुराऊ जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्रमांक/43/वा./भू.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसुलीडीह, प.ह.नं. 7/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331	0.210
332	0.130
333	0.050
334	0.020
335	0.020
354	0.120
336	0.030
359	0.090
337	0.080
338	0.140
339	0.130
360	0.200
358	0.380
353	0.530
352	0.210
योग 15	2.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-परसुलीडीह एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 664/05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.73
4	0.31
5	1.34
6	0.39
7	0.20

	(1)	(2)
	10	0.09
	3	0.10
	8	0.15
	11	0.14
	12	0.20
	14	1.30
	15/1	0.69
	15/2	0.11
	20	0.05
	21	0.05
	23	0.06
	16	0.04
	17	0.04
	18	0.02
	19	0.02
	22	0.04
	24	0.13
	25	0.15
	32	0.50
	33/1	0.10
	33/2	0.10
	33/3	0.10
	26	0.15
	28	0.17
	35	0.84
	36	0.50
	66	0.04
	135/1	0.60
	205	0.08
	577	0.10
	206	0.08
	207/1	0.09
	207/2	0.09
	561	0.10
	571	0.10
	590	0.09
	591	0.05
	595	0.09
	596	0.10
	597	0.15
योग	45	10.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसुलीडीह एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 670/08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-सरईभदर, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	226	0.30
	227/1	0.25
योग	2	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मारागांव एनीकट योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 659/12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-धमतरी
  (ख) तहसील-मगरलोड
  (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प.ह.नं. 35/1
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1346/2	0.02
1362	0.05
1363	0.08
1365	0.05
1364	0.04
1406	0.06
1366	0.24
1369	0.08
1400	0.30
1402	0.05
1405	0.08
1408	0.03
1414	0.03
1421	0.13
1393	0.01
1404	0.06
योग 16	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

क्रमांक/05/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टुण्डरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत टुण्डरा/प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 11-12-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. टुण्डरा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

टुण्डरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बलौदा, गिधौरी, धटमडुवा एवं कुम्हारी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुम्हारी, अमलीडीह एवं कोरकोटी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोरकोटी, खपरीडीह, नरधा एवं मटिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मटिया, हसुवा एवं बलौदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जा सकता है.

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत टुण्डरा

बलौदाबाजार, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्रमांक/03/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कसडोल निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत कसडोल/प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 08 जनवरी 2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. कसडोल निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

कसडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चांटीपाली, गोरधा एवं कोट ग्रामों उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कोट, छरछेद एवं बिलारी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बिलारी, बैंगनडबरी, हटौद, धौराभाठा, सेमरिया एवं खरवे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खरवे, चकरवाय, दर्रा एवं चांटीपाली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत कसडोल.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्रमांक/04/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बलौदा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत बलौदा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 06-01-2016 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों

में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

अनुसूची

बलौदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बेलन्दियाडीह, झारीडीह तथा बलौदा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बलौदा तथा चारपारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चारपारा, बुचीहरदी तथा बलौदा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बलौदा तथा बेलन्दियाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 04/T & CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Baloda Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 06-01-2016 during office hour's in the office of the Collector Distt.-Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Nagar Panchayat Baloda, District Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Baloda Planning Area detailed in schedule given below :—

SCHEDULE

The limits of Baloda Planning Area

NORTH : Village Belndiyadih, Jharidih and Baloda upto the North limit.
EAST : Village Baloda and Charpara upto the East limit.
SOUTH : Village Charpara, Bachihardi, Baloda upto the South limit.
WEST : Village Baloda and Belndiyadih upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette."

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considerd by the Commissioner Cum-Director Town and Country Planning, C.G., Naya Raipur.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक/26/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नवागढ़ निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत सभा कक्ष नवागढ़ एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 14-01-2016 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान

कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

अनुसूची

नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम सेमरा, तेंदुआ, शिऊर, रोगदा तथा धाराशिव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम धाराशिव, पेंडरी, पीपरी तथा कीरत ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कीरित, नेंगुरडीह, कोटिया तथा पोड़ी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम पोड़ी, सेमरा, तेंदुआ, तुर्री तथा सिऊर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगा तो उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 26/T & CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Nawagarh Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 14-01-2016 during office hour's in the office of the Collector Distt.-Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Nagar Panchayat Nawagarh, District Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Janjgir-Champa (C.G.). The limits of the Nawagarh Planning Area detailed in schedule given below :—

SCHEDULE

The limits of Nawagarh Planning Area

NORTH	:	Village Semara, Tendua, Shiur, Rogada and Dharashiv upto the North limit.
EAST	:	Village Dharashiv, Pendari, Pipari and Kirat upto the East limit.
SOUTH	:	Village Keerit, Negurdih, Kotiya and Podi upto the South limit.
WEST	:	Village Podi, Semara, Tendua, Turri and Siur upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette."

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considerd by the Commissioner Cum-Director Town and Country Planning, C.G., Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/6618.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/6374-5 रायपुर, दिनांक 13-12-2015 द्वारा श्री युवराज कुर्रे, तहसीलदार राजपुर अतिरिक्त प्रभार तहसील कुसमी को कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के पत्र क्रमांक 6347 दिनांक 17-12-2015 द्वारा श्री एस. के. यादव, तहसीलदार कुसमी को कृषि उपज मंडी समिति कुसमी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री युवराज कुर्रे, तहसीलदार राजपुर का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. के. यादव, तहसीलदार कुसमी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कुसमी जिला-बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2014-15/6799.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/1000 रायपुर, दिनांक 13-05-2015 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/1270/40/अ.अ.ऊ.शा./2015-16 महासमुन्द दिनांक 10-12-2015 द्वारा श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा के स्थान पर श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पिथौरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/6801.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/3179 रायपुर, दिनांक 21-07-2015 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/1270/40/अ.अ.ऊ.शा./2015-16 महासमुन्द दिनांक 10-12-2015 द्वारा श्री गौरव कुमार सिंह (आई.ए.एस.) को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अभिषेक अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के स्थान पर श्री गौरव कुमार सिंह (आई.ए.एस.) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/6803.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/5666-5667 रायपुर, दिनांक 24-11-2015 द्वारा श्री श्रवण कुमार टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/1270/40/अ.अ.ऊ.शा./2015-16 महासमुन्द दिनांक 10-12-2015 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री श्रवण कुमार टन्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द के स्थान पर श्री अभिषेक अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/7145.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5352-3553 रायपुर, दिनांक 04-09-2012 द्वारा श्री बी. एल. गजपाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/ज्ये.लिपि/2016/638/राजनांदगांव दिनांक 02-02-2016 द्वारा श्री के. आर. ओगरे, अपर कलेक्टर, राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. एल. गजपाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव के स्थान पर, श्री के. आर. ओगरे अपर कलेक्टर राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज समिति राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/7276.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/5743-44 दिनांक 27-11-2015 द्वारा श्री नीलकंठ टेकाम अपर कलेक्टर बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक क्र/-1/2016/834 दिनांक 09-02-2016 द्वारा श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री नीलकंठ टेकाम अपर कलेक्टर बिलासपुर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक/898/व.लि./2016.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. संजय अलंग, कलेक्टर, मुंगेली वर्ष 2016 हेतु मुंगेली जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

अनुक्रमांक	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन
1	गणेश चतुर्थी	05 सितम्बर, 2016	सोमवार
2	महानवमी (दशहरा)	10 अक्टूबर, 2016	सोमवार
3	दीपावली का दूसरा दिन	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार

संजय अलंग,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड
मकान नं. 7, कैलाश रेसीडेंसी, गीतांजली नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक/मा.क.बो./स्था./2015-16/546.—छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-24/2013/(6) 52 दिनांक 18-01-2016 के परिपालन में श्री चन्द्रशेखर पाड़े द्वारा आज दिनांक 29-01-2016 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड रायपुर छ.ग. के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

चन्द्रशेखर पाड़े,
अध्यक्ष.